29.7.24

पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान हाजिर। Report TDR Sangod मुताबिक दि 11.6.24 को प्राप्त हो चुकी है, जो शा. पत्रा. है। कारण अधिग्रहण उपरान्त मौजूदा प्रार्थिया पर 25। वर्ग मी. छूटी गई।

मैंने उक्त पत्रावली का सतर्कता से अवलोकन किया। जवाबदावा से स्पष्ट है कि प्रार्थी आवेदित राशि के अतिरिक्त भूमि का नामान्तकरण के नाम

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
	दर्ज आराजी में सम्मिलित अपनी आराजी पर पहुँच सकता है, इसके अतिरिक्त विवादित आराजी पर रास्ते के संबंध में मा० सिविल न्यायालय (क.ख.) सोनीपत द्वारा वाद कहलावती देवन्ती, अनिल बनाम बद्रीलाल करते-वाद सं० 20/06 में उभयपक्ष के रास्तानामे कबूला कार्यवाही निर्णय व डिक्री दि० 05-11-2012 को पारित किया जा चुका है, जिससे दोनों पक्षकार पाबन्द हैं। पार्टी द्वारा इकरारनामे को छिपाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।	
	पत्रावली के उपलब्ध पर साक्ष्य, खसरा बयान, जवाब आपत्ति एवं जवाब आपत्ति, मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रिकार्ड के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है, तितम्मा निर्णय मुताबिक से लिखित जारी ग्रा. प्र. किया जाय।	
	पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 22/2018 तारीख दायरा 29.02.2018

उनवान

अनिल कुमार पुत्र श्री हेमराज जाति धाकड़ निवासी ग्राम कुराड़िया कला तहसील सांगोद जिला कोटा।

–प्रार्थी

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ा निवासी ग्राम कुराड़िया कलां तहसील सांगोद।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री रामप्रसाद नागर (वकील प्रार्थी) दिनांक :– 29.07.2024

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील अप्रार्थी सं.1)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ग्राम कुराडिया कलां तहसील सांगोद का निवासी कृषक है, जिसकी ग्राम कुराड़ियाकलां के राजस्व माल क्षेत्र में ख0 नं0 288/428 की 0.30 है0 तथा ख0 नं0 289 की 2.13 है0 कुल 2.43 है0 चाही तृतीय कृषि भूमि स्थित है। ग्राम कुराड़िया कलां के ख0 नं0 282 की सांगोद कुन्दनपुर राजगढ़ आम सड़क की पूर्वी दिशा में अप्रार्थी नं01 बद्रीलाल के खाते की भूमि ख0 नं0 284 की 1.55 है० तथा ख० नं० 285 की 0.81 है0 के बाद ही प्रार्थी के खाते की ख० न0 288/428 की 0.30है0 व 289 की 2.13 है० भूमि स्थित है, जिस पर कृषि कार्यों हेतु आवागमन करने तथा कृषि उपज व ट्रेक्टर–ट्रोली आदि लाने ले जाने का ख0 नं0 282 की आम सड़क से ख0 नं0 284 व 285 की मध्यवर्ती मेड़ की

भूमि, जो अप्रार्थी नं. 1 बद्रीलाल के खाते की कृषि भूमि है के अलावा मौके पर अन्य कोई रास्त उपलब्ध नहीं है। यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं०–1 बद्रीलाल एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य रहे है, इस कारण प्रार्थी आपसी सहमति से अपने खाते की उक्त भूमि पर अप्रार्थी नं० 1 बद्रीलाल के खाते दर्ज शुदा उक्त भूमियों की मध्यवर्ती मेड़ पर होकर ही गत कई वर्षों से आवागमन करता आ रहा है।

अप्रार्थी नं0–1 की प्रार्थी के पिता हेमराज से आपसी पारिवारिक रंजिश पड़ जाने से वह प्रार्थी को प्रार्थी के खाते की ख0 नं0 288/428 व ख0 नं0 289 की चाही आराजियात पर कृषि कार्य हेतु उसके खाते की उक्त ख0 नं0 284 की 1.55 है0 व 285 की 0.82 है0 की मध्यवर्ती मेड़ पर राजस्व रेकार्ड में स्थाई रास्ता कायम न होने की आड़ लेकर बाधा कारित करने लग गया है, इसलिए प्रार्थी के लिए धारा 251 क रा० टी० एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक उक्त रास्ते की भूमि का मौका निरीक्षित करवाकर ख0 नं0 282 की सार्वजनिक निर्माण विभाग की आम सड़क से पूर्व दिशा में अप्रार्थी नं0–1 बद्रीलाल के खाते की ख0 नं0 284 की 1.55 है0 व 285 की 0.81 है0 कृषि भूमियों की मध्यवर्ती मेड़ पर 10 फुट चौड़ाई में प्रार्थी के खाते की ख0 नं0 288/428 व 289 की भूमि तक करीब 500 फुट लम्बाई में स्थायी रूप से कृषि उपयोगी रास्ता कायम कराया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी, अप्रार्थी नं0–1 को उक्त 500×10=5000 वर्गफुट भूमि की प्रचलित डी०एल०सी० दर से वाजिब कीमत भी भुगतान करने को तत्पर है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खाते की ग्राम कुराडिया कला तहसील सांगोद की ख0 नं0 288/428 की 0.30 है० व ख० नं. 289 2.13 है0 कृषि भूमि पर कृषि कार्यों हेतु आवागमन करने व ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि उपज, उपकरण इत्यादि लाने–ले जाने हेतु अप्रार्थी नं0–1 बद्रीलाल के खाते की ख0 नं0 284 की 1.55 है0 व 285 की 0.81 है० भूमियों में से दोनों खसरा नम्बरान में से 500 ×10 वर्गफुट चौड़ी पट्टी की भूमि को अप्रार्थी नं०–1 बद्रीलाल के खाते से खारिज कर राजस्व रेकार्ड में सिवाय चक, गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे, साथ ही अप्रार्थी नं0–1 बद्रीलाल को उक्त रास्ते की भूमि से प्रार्थी को अपने खाते की भूमियों तक आवागमन करने बाबत कभी किसी प्रकार की बाधा कारित न करने हेतु भी जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश कुमार गौतम द्वारा वकालतन नामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर

आपत्ति व्यक्त की गई। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने जावब में अंकित किया गया कि विवादित आराजी पर रास्ते के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय (क.ख.) सांगोद द्वारा वाद बउनवानी हेमराज, अनिल बनाम बद्रीलाल वगैरा वाद कंमांक 20/06 में उभय पक्ष के राजीनामे अनुसार अन्तिम निर्णय व डिकी दिनांक 05.11.2012 को पारित किया जा चुका है जिससे दोनों पक्षकार पाबन्द हैं तथा प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्य को छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त योग्य है। प्रकरण में जवाब सरकार प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार प्रार्थी की आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ता भी है। प्रार्थी की माता के नाम दर्ज आराजी ख.न. 291/426 एवं प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज आराजी ख.न. 288 से होता हुआ अपनी आराजी तक पहुँच सकता है।

इसके उपरान्त अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा बहस की गई। मेरे द्वारा बहस उभय पक्षकारान सुनी गई, पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। जवाब सरकार से स्पष्ट है कि प्रार्थी आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अपने माता पिता के नाम दर्ज आराजी से होते हुए सीधे ही अपनी आराजी तक पहूँच सकता है। इसके अतिरिक्त विवादित आराजी पर रास्ते के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय (क.ख.) सांगोद द्वारा वाद बउनवानी हेमराज, अनिल बनाम बद्रीलाल वगैरा वाद कंमांक 20/06 में उभय पक्ष के राजीनामे अनुसार अन्तिम निर्णय व डिकी दिनांक 05.11.2012 को पारित किया जा चुका है जिससे दोनों पक्षकार पाबन्द हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, जवाब अप्रार्थी एवं जवाब सरकार, मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद